न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 143/2020

प्रार्थी : –

1. श्री बाबूलाल पुत्र श्री खीमाजी जाति प्रजापत निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री रूपाजी जाति माली निवासी भारजा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति :–

1. श्री प्रमोद कुमार दवे अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री हरीराम माली पॉवर ऑफ एटोर्नी अप्रार्थी संख्या दो।

निर्णय

दिनांक 08.09.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत अप्रार्थी संख्या दो के हक में अप्रार्थी संख्या एक द्वारा जारी पट्टा संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 क्षेत्रफल 750 वर्गफुट को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया । प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या दो की ओर से श्री हरीराम माली द्वारा जरिये सर्वाधिकार पत्र के उपस्थिति दी गई।

प्रार्थी की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे विधि विरूद्ध पारित पट्टा संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 क्षेत्रफल 750 वर्गफुट का नियम 158 राजस्थान पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी ग्राम भारजा का निवासी है एवं प्रार्थी का आवासीय मकान ग्राम भारजा में ही बना हुआ है, जिसमें वह अपने परिवार सहित निवासरत है। उक्त मकान के दक्षिण दिशा की तरफ गली आई हुई है एवं गली के बाद एक भूखण्ड समचौरस 30×50=1500 वर्गफुट आय[illegible] प्रार्थी का करीब 30–40 वर्षों पुराना कब्जा है, जिस पर प्रार्थी ने परकोट[illegible] है एवं प्रार्थी और उसका परिवार उक्त भूखण्ड का उपयोग [illegible] रहे है। यह है कि उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी [illegible] दो श्री प्रकाश [illegible] पुत्र श्री रूपाजी माली ने अवैध कब्जा करने की गरज से [illegible] मेल मिलाप कर फर्जी [illegible] संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 को बनवाया, जब[illegible] उक्त भूखण्ड का पट्[illegible] हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय ग्राम पंचायत भारजा में दिनांक 10.11.2008 को प्रार्थना पत्र दिया था। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो इण्डियन ओवरसिज बैंक बांसवाडा में मैनेजर के पद पर पदस्थापित है एवं अप्रार्थी संख्या दो का सगा भाई श्री हरीश कुमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पंचायतीराज विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर पदस्थापित है। अप्रार्थी संख्या दो ने अपने भाई के प्रभाव से अप्रार्थी संख्या एक से मेल मिलाप कर प्रार्थी के कब्जे भोगवटे की भूमि को हडपने के लिए उक्त फर्जी पट्टा अपने नाम बनवा लिया। यह है कि रियायती दर पर पट्टे जरूरतमंद लोगों को जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो उसके नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते है लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को सरकारी सेवा में होते हुए भी रियायती दर पर पट्टा जारी किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अप्रार्थी संख्या एक एवं दो ने राजस्व को हानि पहुंचा कर अप्रार्थी संख्या दो को रियायती दर पर पट्टा जारी किया है, जबकि प्रार्थी ग्राम पंचायत में नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी ने इससे पूर्व ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी पट्टा संख्या 002157 दिनांक 24.10.1997 में ग्राम पंचायत को भूमि की सरकारी दर से रूपये 40,000/– अदा कर पट्टा अपने नाम जारी करवाया है। यह है कि प्रार्थी अपने बडे पुत्र श्याम सुन्दर के उक्त पुराने कब्जे भोगवटे के प्लॉट पर अलग निवास हेतु मकान निर्माण की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अप्रार्थी संख्या एक के कार्यालय में गया तब अप्रार्थी संख्या एक ने कहा कि उक्त भूखण्ड से अपना निर्माण हटा देना उक्त भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो के नाम जारी हो चुका है जबकि अप्रार्थी संख्या दो का उक्त भूखण्ड पर कभी भी कब्जा व आधिपत्य नहीं रहा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या दो को राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टा निरस्त करने योग्य होने से उक्त पट्टे को खारिज किया जाना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या दो की ओर से जरिए सर्वाधिकार पत्र के श्री हरीराम माली द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या दो को जारी पट्टा नियमों के अनुरूप राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत ही जारी किया गया है। पट्टा जारी करते समय पंचायत द्वारा कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियमो के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है ।

अप्रार्थी संख्या दो द्वारा इस संबंध मे कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नही की गई है। विवादित भूमि पर अप्रार्थी का वर्षो पुराना कब्जा था। अतः पट्टा जारी करने मे राजस्थान पंचायत राज विभाग, राज. जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देश पंचायती राज के नियम नही है। अप्रार्थी संख्या एक ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा–निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी मे आते है । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा–61 के तहत अधीनस्थ पंचायत के आदेशों के विरूद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी। अन्त मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि गलत तथ्यो के आधार [illegible] है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अपरिपोषणीय होने से खारिज किया जावे [illegible] मे उनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की [illegible] 9.4.2007 एवं प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान [illegible] 1349 दिनांक 21.4.2007 की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिसूचना [illegible] दिनांक 9.4.2007 द्वारा संशोधन करते हुए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 158 जोडा गया है जिसके अन्तर्गत–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृह स्थल/गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है या गृह/गृहस्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटित कर सकेगी (और ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की पालना कर ही पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी का आदर्श नगर भारजा में मकान बना हुआ है, जिसका प्लॉट संख्या 62 का पट्टा संख्या 002157 का ग्राम पंचायत भारजा द्वारा दिनांक 28.03.2001 को नीलामी द्वारा जारी किया हुआ है किन्तु आदर्श नगर भारजा के आबादी भूमि खसरा संख्या 1779, 1780 में ग्राम पंचायत भारजा के अनुमोदित प्लान अनुसार प्लॉट संख्या 72 क्षेत्रफल 30×50=1500 वर्गफुट की भूमि पर प्रार्थी एवं उसके किसी भी रिश्तेदार का कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं न ही मौके पर परकोटा बना हुआ है। यह है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में विधि संगत कार्यवाही करते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान में पट्टा संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 क्षेत्रफल 15×50=750 वर्गफुट जारी किया। इसके संबंध में ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के आवासीय भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में मिसल/भूमि विक्रय पत्रावली संख्या 2004–05/14 दायर दिनांक 28.11. 2004 के फैसल/निर्णय 03 दिनांक 26.12.2004 के अनुसरण में नियमानुसार शुल्क राशि 697/–रूपये जरिए रसीद संख्या 18 दिनांक 24.12.2004 को ग्राम पंचायत भारजा में जमा हो जाने के पश्चात उक्त पट्टा जारी किया गया, जिस पर प्लॉट संख्या 72 क्षेत्रफल 30×50=1500 वर्गफुट की भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का कब्जा पट्टा जारी होने से आज दिनांक तक निर्विरोध अनवरत चला आ रहा है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो की बैंकिंग सेवा में नियुक्ति दिनांक 26.10.2009 में हुई थी जबकि उक्त पट्टा दिनांक 26.12.2004 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में समस्त ग्रामवासियों की उपस्थिति में एवं सभी राजकीय विभागों के प्रतिनिधियों के समक्ष जारी किया गया है एवं जिस समय पट्टा जारी हुआ तब अप्रार्थी संख्या दो राजकीय सेवा में नहीं था अपितु बेरोजगार एवं जरूरतमंद था एवं नियम 158 के तहत निर्धारित मापदण्डानुसार रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र था। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार की गैर विवादित आबादी भूमि में से पात्रता अनुसार अधिकतम 1350 वर्गफुट हाल 2700 वर्गफुट तक की भूमि रियायती दर पर जारी करने का अधिकार होने से ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। यह है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पंचायतीराज नियमों की पूर्ण पालना करते हुए नियमानुसार मिसल दर्ज रजिस्टर की गई एवं ग्राम पंचायत की बैठक में नियमानुसार निर्णय पारित होने से निर्धारित शुल्क पंचायत कोष में जमा हो जाने के पश्चात प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प भारजा में संबंधित राजकीय विभागों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय द्वारा नियुक्त कैम्प प्रभारी महोदय के हाथों वितरित किया गया था जिसमें किसी भी प्रकार से नियमों को ताक में नहीं रखा गया है। यह है कि ग्राम भारजा के आदर्श नगर में प्लॉट संख्या 72 क्षेत्रफल 30×50=1500 वर्गफुट में से 15×50=750 वर्गफुट का ही अपर्याप्त पट्टा जारी किया हुआ है जिस पर अप्रार्थी संख्या दो द्वारा प्लॉट संख्या 72 के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का पट्टा जारी करने का अनुरोध किया जिस पर तत्कालीन पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा वक्त कब्जा सुपूर्दगी मौके पर निर्णय लेते हुए 30×45=1350 का आवंटन आदेश जारी करते हुए प्लॉट संख्या 72 का सम्पूर्ण कब्जा सुपूर्द किया, तब से ही पट्टाधारक का कब्जा अनवरत चला

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आ रहा है। यह है कि उक्त प्लॉट पर लगभग दो–दो फीट की दीवार अप्रार्थी संख्या दो द्वारा बनवाई गई तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या दो के पिता का स्वर्गवास हो जाने से उक्त निर्माण कार्य सम्पूर्ण नहीं हो पाया, जिसका मौके पर तीन तरफ से नींव भरी हुई है। यह है कि प्लॉट संख्या 72 के आधे हिस्से का पट्टा अप्रार्थी संख्या दो को जारी हो चुका है एवं शेष आधे हिस्से का पट्टा जारी करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत स्तर पर प्रक्रियाधीन है एवं मौके पर निर्माण कार्य आधा–अधूरा किया हुआ है। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो की बैंकिग सेवा में पदस्थापन अन्यत्र जिले में होने से पडौसी प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र श्री खीमाजी प्रजापत सरपंच चुनाव वर्ष 2020 की आदर्श आचार संहिता के दौरान प्रशासनिक तंत्र के चुनाव कार्य में व्यस्त होने का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी के कब्जेशुदा प्लॉट के शेष आधे हिस्से पर अतिक्रमण करने की नियत से दिनांक 11.01.2020 का कार्य चालू किए जाने पर तत्काल उसी वक्त ग्राम पंचायत भारजा के कार्मिकों द्वारा रूकवाया गया था। यह है कि अप्रार्थी संख्या दो की तरफ से प्लॉट संख्या 72 पर निर्माण हेतु निर्माण स्वीकृति की मांग किए जाने पर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा पंचायत सदस्यों से मौका निरीक्षण, आपत्ति नोटिस उपरांत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.10.2020 के प्रस्ताव संख्या 02 के निर्णयानुसार निर्धारित शुल्क जरिए रसीद संख्या 31513 दिनांक 26.10.2020 के जमा हो जाने से ग्राम पंचायत भारजा के पत्रांक 1641 दिनांक 26.10.2020 के द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी की गई। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र मनगढन्त एवं बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित है। अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना खारिज किया जाना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो की ओर से की गई बहस एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :–

जहॉं तक अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है जिसके तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के माध्यम से न्यायालय के ध्यान में, ग्राम पंचायत भारजा द्वारा की गई कार्यवाही को लाये जाने से इस प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया जाना मैं उचित समझता हूँ। अप्रार्थी सं.दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत भारजा द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 158 के अनुसार–

भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन– (1) पंचायत, गांव आवंटितियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि, अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के सदस्यों, गांव कारीगरों, श्र[illegible] पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चय[illegible] परि[illegible] विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाड़ियां लुहारों को जिनके [illegible] स्वयं के गृह स्[illegible] गृह नहीं है, और ऐसे बाढ़ग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गए है [illegible] कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गए है, रियायती दरों पर आवंटि[illegible] ऐसी भूमि का पट्टा 23–ग में जारी किया जा सकेगा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:00 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो के हक मे पट्टा संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 मिसल दायर संख्या 2004–05 / 14 दिनांक 28.11.2004 क्षेत्रफल 750 वर्गफुट का नियम 158 राजस्थान

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

पंचायत राज.नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन करने से यह पता चलता है कि ग्राम पंचायत भारजा के अनुमोदित प्लान अनुसार प्लॉट संख्या 72 क्षेत्रफल 30×50=1500 वर्गफुट की भूमि में से ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में कार्यवाही करते हुए प्रशासन गांवों के संग अभियान में पट्टा संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 क्षेत्रफल 15×50=750 वर्गफुट जारी किया, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के आवासीय भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में मिसल/भूमि विक्रय पत्रावली संख्या 2004–05/14 दायर दिनांक 28.11.2004 को प्रस्ताव संख्या 03 के अनुसरण में दिनांक 26.12.2004 को नियमानुसार शुल्क राशि 697/–रूपये जरिए रसीद संख्या 18 दिनांक 24.12.2004 को ग्राम पंचायत भारजा में जमा हो जाने के पश्चात उक्त पट्टा जारी किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता का यह कथन है कि अप्रार्थी संख्या दो इण्डियन ओवरसिज बैंक बांसवाडा में मैनेजर के पद पर पदस्थापित है एवं नियम 158 के तहत रियायती दर पर पट्टे जरूरतमंद लोगों को, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो उसके नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाते है लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को सरकारी सेवा में होते हुए भी रियायती दर पर पट्टा जारी किया है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के आधार पर यह पाया जाता है कि प्रार्थी की बैंकिग सेवा में नियुक्ति वर्ष 2009 में हुई थी एवं ग्राम पंचायत भारजा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को विवादित पट्टा दिनांक 26.12.2004 को राजकीय सेवा में नियुक्ति से पूर्व ही जारी हो चुका था एवं पट्टा जारी करते समय अप्रार्थी संख्या दो राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 158 की शर्तों की पात्रता रखने के आधार पर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा विवादित भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। जहां तक प्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी का विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा है परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जो यह साबित कर सके कि प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि पर वर्षों पुराना कब्जा हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जिसको रोकने हेतु ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रार्थी को नोटिस दिनांक 11.01.2020, दिनांक 25.01.2020, दिनांक 27.08.2020 एवं दिनांक 16.09.2020 को दिए गए। यह है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र श्री खीमाजी को निर्माण कार्य को रोकने जारी नोटिस दिनांक 11.01.2020 में यह कहा गया कि प्रार्थी द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी साक्ष्य या दस्तावेज प्रार्थी के पास उपलब्ध है तो ग्राम पंचायत भारजा में प्रस्तुत करे परन्तु पत्रावली पर ऐसा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी नोटिस दिनांक 27.08.2020 में यह उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी ने दिनांक 11.01.2020 एवं 25.01.2020 को जारी दोनों नोटिसों को लेने से इन्कार कर दिया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी के पास ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा साबित हो सके। अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी पट्टा संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 विधि संगत है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर ग्राम पंचायत भारजा द्वारा जारी पट्टा संख्या 002777 दिनांक 26.12.2004 क्षेत्रफल 15×50=750 वर्गफीट को यथावत कायम रखा जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:14:00 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner